Nisha.Nisha latter.98

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः– एफ.5( )आ.जा./ऑडिट/ICDS/2014 107533-565 जयपुर, दिनांकः 14-6-18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय :– आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालय का पूर्व पत्र क्रमांक–एफ5( )महा./समीक्षा/मबावि/2015/86307–339 दिनांक 02.06.17, 114957–5262 दिनांक 27.07.17, 172491 दिनांक 07.11.2017, 202438–470 दिनांक 28.12.2017 एवं 23961–994 दिनांक 06.02.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न पत्रों, विभागीय समीक्षा बैठकों में एवं दूरभाष पर बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा हैं। इसके बावजूद भी आप द्वारा आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना भिजवाने हेतु कोई यथेष्ठ प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना के अभाव में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं हो पा रहा हैं।

ज्ञातव्य है कि शासन सचिव महोदय मबावि के अध्यक्षता में दिनांक 11.08.17 को आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक में बकाया अनुच्छेदों की पूर्ण अनुपालना कराने एवं प्रथम अनुपालना निर्धारित समय पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों के बकाया समस्त अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना पुष्टि के दस्तावेजों को संलग्न कराकर आपकी स्पष्ट टिप्पणी अंकित कर, दो प्रतियों में लेखाकर्मी/संबंधित कार्मिक के साथ 7 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होगें। पूर्व में भेजी गई अनुपालना की छाया प्रतियां किसी भी स्थिति में नहीं भिजवायें, नये सिरे से आक्षेपानुसार अनुपालना तैयार करके ही भिजवाया जावें।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक –एफ.5( )आ.जा./ऑडिट/ICDS/2014 107566-870 जयपुर, दिनांकः 14-6-18

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना पुष्टि के आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित उपनिदेशक की अभिशंषा सहित 7 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No. 0141-2705561/2700216, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail -cao.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in